



RAEBARELI POLICE



दिनांक 10 फरवरी 2024

थाना लालगंज

चोरी की योजना बनाते हुये अवैध शस्त्र/कारतूस के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत आज दिनांक 10 फरवरी 2024 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग/रात्रि गश्त के दौरान 03 अभियुक्त 1.आशीष पुत्र रामकुमार रावत निवासी इब्राहिमपुर नीलमथा थाना कैन्ट जनपद लखनऊ 2.आशू पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी बंगला बाजार थाना आसियाना जनपद लखनऊ 3. सिराज कुरैशी पुत्र लालू मोहम्मद निवासी तेलीबाग थाना पीजीआई जनपद लखनऊ को चोरी की योजना बनाते समय अवैध शस्त्र/कारतूस के साथ थाना क्षेत्र के डलमऊ ओवरब्रिज के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। जिनके विरुद्ध थाना लालगंज पर मुकदमा अपराध संख्या-78/2024 धारा 401 भादवि व धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.आशीष पुत्र रामकुमार रावत निवासी इब्राहिमपुर नीलमथा थाना कैन्ट जनपद लखनऊ
- 2.आशू पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी बंगला बाजार थाना आसियाना जनपद लखनऊ
- 3.सिराज कुरैशी पुत्र लालू मोहम्मद निवासी तेलीबाग थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आशीष:-

- 1.मु0अ0सं0 210/2015 धारा-379,411 भादवि थाना मौरावां जनपद उन्नाव
- 2.मु0अ0सं0 138/2018 धारा-379,411 भादवि थाना आसियाना लखनऊ
- 3.मु0अ0सं0 167/2018 धारा-379,411 भादवि थाना आसियाना लखनऊ
- 4.मु0अ0सं0 480/2018 धारा-2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम थाना आसियाना लखनऊ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आशू:-

- 2.मु0अ0सं0 176/2019 धारा-323,354,452 भादवि थाना आसियाना लखनऊ

बरामदगी-

01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त आशीष के कब्जे से), 03 अदद टॉर्च, 01 अदद सरिया, 01 अदद सब्बल, 02 अदद चाभी के गुच्छे, 01 अदद प्लास, 01 स्विफ्ट डिजायर कार (सीज अन्तर्गत धारा-207 मोटर वाहन अधिनियम)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा

